Order Sheet [Contd] Case No 52 /.14electric Cr.P.C.

	Case No 52 /.14electric Cr.P.C	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण आज स्थाई एवं निरन्तर लोक अदालत में पेश हुआ । आवेदक द्वारा श्री भगवती राजोरिया अधिवक्ता । अनावेदिका द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता । उभयपक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका पेश की जा चुकी है । इस आधार पर पक्षकार वर्तमान याचिका को आगे नहीं चलाना चाहता है । उपरोकत संबंध में विचार किया गया । आवेदक के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु याचिका पेश की जा चुकी है तथा उक्त आधार पर आवेदक अपना प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता और याचिकावापिस लेना चाहता है । विचारोपरान्त उक्त आधार पर वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।	
	(डी०सी०थपलियाल) पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड	